ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Sp. Press Briefing **27 August, 2020**

Shri V. Narayanasamy, Chief Minister, Puducherry; Shri TS Singh Deo, Cabinet Minister, Chhattisgarh; and Sardar Manpreet Singh Badal, Cabinet Minister, Punjab, addressed the media persons via video conferencing today.

Shri. V Narayanasamy said- The GST Council meeting concluded just 45 minute back. Myself, the Hon'ble Finance Minister of Punjab, Hon'ble Finance Minister of Chhattisgarh, other Congress ruled states and also Shri Hemant Soren, the Chief Minister of Jharkhand, the Kerala Finance Minister, the West Bengal Finance Minister and the Chief Ministers and the Finance Ministers of BJP ruled states participated in the meeting. The only one agenda that was discussed in the meeting was, the GST compensation, which is due for the last 4 months, which has to be paid bimonthly to all the states depending upon the revenue loss, the cap of 14%. Because of the Covid-19 pandemic situation, all the states have lost their revenue. It is not only Congress ruled states, but also the BJP ruled states.

In this meeting because the cess, which has to be collected for the purpose of paying the compensation to the states, was not forthcoming. The states have not been paid the compensation bimonthly to the staggered, the compensation was paid up to March 2020. From April – July all the states have not been paid, now the amount lying with the Government kitty, the Compensation Cess is about Rs. 11 thousand crores and therefore, there is a demand from all the Finance Ministers due to Covid pandemic situation. They are not able to manage their revenue in the sates, they are not able to even pay salaries to the Government employees, therefore it is the duty of the Government of India to pay the compensation to the states, because it is the Act that has been passed, which clearly says that the compensation shall be paid to the states, when there is revenue loss.

The debate started with the Hon'ble Punjab Finance Minister, he will explain the issues he raised, and also Hon'ble the Finance Minister TS Singh Deo Saheb also raised the issue, I also raised the issues. The main point mooted was - whether

the Central Government has to borrow and give or the states have to borrow? The third issue was also there that RBI to be facilitated to pay the compensation.

The most of the State Finance Ministers have said that it is the primary responsibility lies with the Central Government. When it comes on the question of State Government, the FRBM issue will come and apart from that some of the states have reached their FRBM limit and therefore, the Government of India should borrow and pay to us and after the period of five years, the collection of Cess that is after the period of five year 2022, 2-3 years the money has to be repaid. This was the demand from the most of the states. Some states said that the states should be allowed to borrow, the interest should be less and they said at the time when the states are borrowing, the Government of India also to help them for the purpose of the getting the money from the market.

The discussion went on for more than five hours and the one issue that has been raised, it is a very peculiar issue by BJP ruled states saying that the compensation has to be paid by the Government, through the GST council, whatever decision that has been taken by the GST council, the compensation has to be paid on the basis of the collection that has been made in the compensation ie Cess, but, because in the Covid situation, the Central Government cannot share the entire responsibility, the states should also share, but, we countered the argument, myself and the Hon'ble Minister Shri Manpreet Ji and other our Hon'ble Ministers, we countered saying that the Central Government, the whatever assurance they have given, and the decision that has been taken after long deliberation in the 7th -8th and 10th Council Meeting, just an assurance given by the then Finance Minister Shri Arun Jaitley Ji and therefore the Government of India should honour that. After hearing all the states, the Finance Minister Hon'ble Nirmala Sitharaman gave two kinds of proposal.

The proposal number one is that the states will be allowed to borrow from the Reserve Bank. And the Government of India will facilitate that and the compensation about…, because the interest also is an issue, and the Government of India will not take the responsibility in the sense, they will not borrow by themselves. They will facilitate the state Governments to borrow with the lower rate of Interest through special window, through RBI and they said the interest will be, they will give, they will increase 0.5% FRBM limit additionally for the States. The Centre will facilitate the states for borrowing. The interest will be low, this was the first proposal she has given.

The second proposal is, total compensation gap is about Rs. 3 lakh crores for the year 2020-21. The Cess collection will be for the whole year about Rs. 70 thousand crores. The gap will be Rs. 2.30 lakh crores. For the Rs. 2.30 lakh crores,

the Council can authorise the borrowing by the States with the facilitation given by the Central Government and the interest accruing from that will also form part of the compensation cess. These two option have been given and the some of the states agreed for second option, Bengal and other states, in fact from my side also second option, we have given, but, there is a one big problem for our state, being a Union Territory with legislature, when we go for the market borrowing, getting permission from RBI, it has to go through the Home Ministry, it will not be possible to borrow money directly, we are not like the state, but, under the GST law, Puducherry is considered to be a state. Therefore, I said Puducherry should be equated with the states for the purpose of borrowing. The sanction came from Kerala Finance Minister saying that though West Bengal Finance Minister agreed for the second proposal. The Kerala Finance Minister said, he wanted seven days time to consult, you send the proposal to us, we will examine and we will get back.

With that discussion concluded, the Finance Minister agreed that she will through the Finance Ministry, she will send through the GST council secretariat. They will send both the options to all the states and the states can give their views. Thereafter, if possible, we will meet again and then finally decide about the paying compensation for four months to all the states. It is on this, the discussion ended and the other Hon'ble Finance Ministers can give their views because they spoke in the meeting, they will be able to elaborate further.

सरदार मनप्रीत सिंह बादल ने कहा - मुझे तकरीबन साढ़े तीन साल हो गुजरे हैं, जबसे मैंने पंजाब में फाईनेंस की जिम्मेदारी संभाली है और ये सारे जीएसटी का निजाम जबसे शुरु हुआ है, तो सबसे कोई अहमियत की कोई चीज, वो है जीएसटी का कंपनसेशन, क्योंकि इस सारे जीएसटी के निजाम की बुनियाद रखी गई थी तो बुनियाद इस बात पर रखी गई थी कि अगर किसी भी स्टेट को अगर कोई नुकसानात होते है, तो उसकी जो भरपाई है, वो गवर्मेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो प्रेस में भी और एक तासुल दिया जा रहा था और इसको शक के घेरे में लिया जा रहा था कि क्या केन्द्र सरकार कंपनसेशन के लिए लीगली अकाउंटेबल है या नहीं और ये जो कंपनसेशन है अगर सेस में इक्कट्ठी नहीं हो रही तो क्या borrowing allowed (ऋण लेने की अनुमति) है या नहीं? तो एक बात तो हो सकती है कि फंड अवेलेबल नहीं कंपनसेशन के लिए, एक दूसरा मुद्दा है कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया की कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो आज की जो मीटिंग हुई 5 घंटे चली और मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत खुश गुमार माहौल में चली, क्योंकि दो बातें हुई।

एक तो पहले गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल ने एक अटोर्नी जनरल के जो व्यू हैं, वो पढ़कर सुनाए कि दरअसल कोई लीगल कमिटमेंट नहीं है और ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या वजह थी कि ऑनरेबल अटोर्नी जनरल के व्यू सर्कुलेट क्यों नहीं किए? मीटिंग के अंदर लाने का क्या, तो एक मैं समझता हूं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसेट, वो हमें समझ आया।

दूसरा मीटिंग के दौरान ये भी बताया गया, सेक्रेटरी रेवेन्यू ने प्रेजेंटेशन दी, जो कि गैर माहौली हालात हैं, कोविड का जो महामारी है, उसकी वजह से गवर्मेंट ऑफ इंडिया के खुद के टैक्स इक्कट्ठे नहीं हो रहे, इस वजह से, पर क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंडुचेरी, छत्तीसगढ़ और कुछ अपोजिशन स्टेट, उन्होंने बहुत बेहतरीन पेशकश की, जो स्टेट का नुक्ते नजर था और कांग्रेस पार्टी का नुक्ते नजर था। तो इवेंचुअली गवर्मेंट ऑफ इंडिया है, वो इस बात पर तो सहमत हो गई कि हां, हमें ये जो कंपनसेशन है और सिर्फ इस साल के लिए 20-21 का जो साल चल रहा है, अगले साल के कंपनसेशन का मुद्दा अभी ओपन छोड़ा हुआ है, तो उसमें जो...मेरे कहने का मतलब है कि एक सोल्यूशन जो है, वो हमारे पर मुस्सलत कर दिया है। A solution has been trust on us, बेसिक्ली स्टेट जो है, वो बोरो कर सकेंगे। Government of India facility the borrowing और इसकी जो भरपाई है, जो कंपनसेशन होगी वो 2022 के बाद जो सेस है, वो एक साल, दो साल, जितने साल भी चलना हुआ, ताकि ये जो लोन लिया है, जो बोरोईंग हुआ है, वो इस सेस से दी जाए। but basically जो मेरा नुक्ते नजर(view) है और कांग्रेस पार्टी का भी यही नुक्ते नजर है कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने ये जो हमारा मुस्तफिक बिल है, फ्यूचर है, स्टेट है, क्योंकि अगर ये 2 साल, 3 साल आगे चलता है तो ये स्टेट को रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू कब आएगा? ये तो यही है कि मैं आज कुछ चीज ले लूं और आगे जो मेरी तनख्वाह है आज से डेढ़ साल बाद, उससे मैं ये लोन वापस कर दूं। We are not happy with this outcome, कि ऐसा क्यों किया? परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई च्वाइस नहीं थी कि हम इससे सहमत ना हों क्योंकि other option would have been कि जैसे वो बोल रहे थे कि कोई लीगल ओब्लिगेशन नहीं है, अगर सारे स्टेट इक्कट्ठे ना होते, खासकर चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी और छत्तीसगढ़, जैसे स्टेट्स इक्कट्ठे ना होते तो शायद ये भी ऑप्शन ना होते। हम ये चाहेंगे भविष्य में भी, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा है, क्योंकि 7 दिन का समय इन्होंने मांगा है अपोजिशन के स्टेट्स ने।

हम जवाबदेह हैं अपनी कैबिनेट को, हम जवाबदेह हैं अपनी लेजिस्लेचर को। तो आज जो दिल्ली में जो भी फैसला किया है, this will we have to at least हमें अपनी कैबिनेट और लेजिस्लेचर में डिस्कस करना पड़ेगा। इस प्रेस वार्ता के जरिए मैं एक चीज की मांग जरुर करुंगा और ये जमुरियत का हुस्न है, its healthy democratic tradition में, अगर गवर्मेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई स्टेट एग्रीबल नहीं हो त इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी मैज्योरिटी है तो फैसला वही होगा, हम चाहेंगे कि कॉस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 279 सेक्शन A, सब सेक्शन 2, उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाए, So that we have a legal records to something which we don’t agree on.

दूसरा हम ये भी चाहेंगे कि जो आईजीएसटी का पैसा है, जो रोंगफुली गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिटेड़ फंड में ले लिया है, इसकी रकम तकरीबन 54 हजार करोड़ है, ये कंपनसेशन आईजीएसटी में वापस चला जाए, ताकि ये कंपनसेशन जो है, वो दी जाए और मुझे इस बात का दुख है कि ये जो कंपनसेशन थी, कंपनसेशन जो थी as a last resort, चाहिए तो ये था कि कंपनसेशन की नौबत नहीं आती, पर इन्होंने पिछले साढ़े तीन साल में जो मोदी सरकार की तर्जे हकुमत है और जिस तरीके से इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है,

मसला ये पहुंच गया है कि almost every state is seeking compensation, 2022 तक every compensation for any state would over be 30% और मैं ये भी बताता चलूं कि ये कोई हमारे पर अहसान नहीं कर रहे हैं। 2015-16 में जो हमारी इकोनॉमी थी, it was growing at constant rate of 8.5%, in 2016-17 it was 7.3%, तो करंट प्राईस में 12-13 प्रतिशत था। हमें उन्होंने बताया कि जीएसटी के आने से लिकेज बंद हो जाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढेंगे और ये 14 प्रतिशत increase was a realistic ये कोई रियलिस्टिक फिगर था, अनरियलिस्टिक फिगर नहीं था। अंत में, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पिछले साढे तीन-चार साल में इन्होंने स्पेशल सेस, स्पेशल एक्साइज में गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट्स का हिस्सा था, तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ये स्पेशल सेस और एक्साइज से पेट्रोलियम वगैरह से कलेक्ट किया है। हमारे ऊपर कोई अहसान नहीं है, जैसे मैंने बोला कि आज ट्रस्ट डेफिसेट जो है, वो बढ़ रहा है।

श्री टीएस सिंह देव ने कहा कि जीएसटी काउंसिल और जीएसटी व्यवस्था स्थापित करते समय ही शुरु से ही विवाद बने हुए थे कि जो व्यवस्था बनेगी, एक सबसे बड़ी बात की राज्यों का, ये जो फेडरल हमारा ढांचा है, इसमें इनका अस्तित्व वास्तविक कितना रह जाएगा अगर आमदनी के अपने जरिए(साधन) को ये सरेंडर कर देते हैं। टैक्स लगाने का अधिकार राष्ट्रीय पूल में चला जाएगा, जब आपने पास वित्तीय संसाधन अपने नहीं हैं तो वास्तविक तौर पर आप कितने स्वतंत्र फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर के, न आप रह सकते हैं, न माने जाएंगे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज, इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, इक्विपमेंट कंजंप्शन वाले राज्य सरकारों के पास टैक्स का जरिया नहीं है, बिजली चाहिए। आज की मीटिंग में जो बात आ रही थी कि करीब 80 प्रतिशत टैक्स जो लगाने का अधिकार राज्यों के पास था, वो जीएसटी काउंसिल के तहत एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में subsume हो गया, तो आपके पास वित्तीय अधिकार चले गए। अब सबकी सहमति बन रही थी जो भी पार्टियाँ उस समय थीं, अलग-अलग दल की पार्टियाँ थी, तो वहाँ सबने कहा कि करीब-करीब जीएसटी के लिए तो हम सहमत हैं, हालांकि मैंने रिजर्वेशन उस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में भी रखे थे और मैंने कहा था कि बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है इसको सोच-समझकर किया जाए, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता, वित्तीय अधिकार समाप्त हो रहे हैं और ये भविष्य में हो सकता है कि उचित न हो लेकिन एक माहौल था, एक दबाव था, एक वातावरण बन रहा था कि जीएसटी-जीएसटी-जीएसटी। कुछ राज्य 2 प्रतिशत टैक्स लगाते थे, तो अनफेयर प्ले हो जाता था, सामान वहाँ से लोग खरीद लेते थे, गाड़ी इत्यादि-इत्यादि और वस्तुओं को. आप अगर टैक्स के रेट से प्ले करते तो एक देश में एक टैक्स हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी, अब आमदनी का बंटवारा कैसे हो और कहाँ से वो टैक्स आएगा, उसको कैसे पूल करेंगे एक पॉइंट ऑफ मैन्यूफैक्चर था और एक पॉइंट ऑफ कंजम्प्शन था। पहले विचार चल रहा था कि जो निर्माण का स्थल होगा वहाँ से आप टैक्स लगाइए और इसका फिर बंटवारा होगा, उसमे कुछ राज्यों को लाभ होता और कुछ राज्यों को नुकसान होता।

मैन्यूफैक्चरिंग जहाँ पर उत्पादन होता है, उन राज्यों को टैक्स वहाँ से मिलता और जहाँ कंज्यूम होता है वो सीधे जैसे आज की स्थिति में है सेस देना पड़ रहा है कंपंसेशन सेस वो स्थिति बनती। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में और अन्य

ऐसे राज्यों में जहाँ उत्पादन था, हमको नुकसान हुआ और जहाँ कंजम्पसन था, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या अन्य कोई भी राज्य जहाँ मैन्यूफैक्चरिंग कम है औऱ कंजम्पशन ज्यादा है, अगर कंजम्पशन पर आप टैक्स लगाते हैं तो उन राज्यों को लाभ मिल रहा था औऱ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कहा गया कि हम आपको कंपंसेट करेंगे औऱ इसके लिए पार्लियामेंट ने संविधान का संशोधन किया।

मैं इसी बात पर जोर देना चाहूँगा ये किसी राजनैतिक पार्टी के चश्मे से, या नजरिए से न देखिए, हमको ये देखना चाहिए कि आखिर ये देश का संविधान है आज कि 101वें संविधान के संशोधन के आर्टिकल 18 जो है, वो क्या कहता है, इसमें राज्य सरकारों की बात नहीं है कि Parliament may, by law, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, provide for compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the GST for a period of five years. पहली चीज ये पांच साल के लिए बना, दूसरी चीज राज्यों को पार्लियामेंट ये राशि उपलब्ध कराएगी जहाँ प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एक फिगर तय किया गया कि आपकी आमदनी क्या है और पिछले तीन साल की आमदनी निकाली गई, इत्यादि-इत्यादि और अब राज्य के स्टार्टिंग पॉइंट में 2016 में आमदनी कितनी है या तीन साल का एवरेज कितना है उस पर अब हर साल 14 प्रतिशत बढ़कर राज्यों को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू मिलेगा इस बात पर पूरे देश के राज्यों ने सहमति अंततः व्यक्त की वरना सहमति नहीं हो रही थी कि हमको मुआवजा कितना होगा, हमारा नुकसान कितना होगा, इत्यादि-इत्यादि।

तो ऐसे सहमति के बाद देश के संविधान में उसके अंकित होने के बाद आज आप पार्टी मेजोरिटी के नाम पर किसी चीज को हाथ मरोड़कर कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, हम आपको जीएसटी का जो आपका हिस्सा है नहीं देंगे। ये जुलाई से चालू हुआ था, ये दो माही किस्तों में ये हमको सेस मिलता था, कंपंसेशन सेस मिलता था, अप्रेल- मई, जून-जुलाई, अगस्त-सितम्बर, अक्टूबर-नवम्बर, दिसम्बर-जनवरी, फरवरी और मार्च। एक मार्च के बाद अगले साल के अप्रेल का दो साल का सेस मिलता था, इस साल इन्होंने क्या किया कि मार्च तक का क्लियर कर दिया और इस वित्तीय वर्ष का सभी राज्यों के कंपंसेशन का पैसा भी रोक लिया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक के बाद कि हम जो राय दे रहे हैं उसको मानो, नहीं तो हम आपका पैसा रिलीज नहीं कर रहे।

अभी कोविड का समय है, देश के नागरिक कोविड की सेवा के लिए अन्य सेवाओं के लिए मोहताज हैं और आप हाथ मरोड़ रहे हो कि हमारी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, हमारा बहुमत है काउंसिल में, हम जैसा चाहेंगे, हम पास करा लेंगे, हमारी बात को मानो, संविधान को किनारे रखो, एक्ट में क्या प्रावधान है, वो कह रहे हैं एक्ट में नहीं लिखा था। अटॉर्नी जनरल साहब की उन्होंने सलाह ली, पता नहीं सलाह क्यों ली लेकिन सलाह ली थी, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने पहली चीज साफ-साफ ये कही कि आपको कंपंसेशन तो देना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, वरना कुछ मीटिंग्स में ये भी चला जाएगा कि कंपंसेशन देंगे कि नहीं, इत्यादि-इत्यादि, ये कोविड का समय है, पैसे नहीं आ रहे तो छोड़ो कंपंसेशन भी नहीं देना, लेकिन इतना तो समझदारी रही कि कंपंसेशन तो देना पड़ेगा। अब कंपंसेशन अगर देना है तो कैसे देना है इस पर बात आ गई तो जब आप ये तय

कर रहे हैं कि ये कंपंसेशन के अमाउंट को अब हमको बॉरो करना है, हमको लोन लेना है, हमको ऋण लेना है औऱ ऋण पर जो ब्याज लगेगा उसको भी पांच साल के समय के बाद भी हम सेस को बढ़ा देंगे औऱ उस सेस के पैसे से राज्यों ने जो मूल राशि ली है औऱ उसके पर जो ब्याज आ रहा है उसको हम पटा देंगे, ये आपने फैसला किया।

जब आप इस बात पर राजी हैं, यदि सारे राज्य इस बात पर राजी हैं कि हम लोन ले लेंगे, लोन में जो ब्याज आएगा, ये दोनों रकम मूल रकम और ब्याज की रकम, पांच साल के बाद से हम कंटिन्यू करेंगे, ये पांच साल का ये एग्रीमेंट तो खत्म हो गया कि हम ये एश्योर्ड रेवेन्यू, प्रोटेक्टेड रेवेन्यू नहीं रहेगा, अब राज्य अपने भरोसे है। राज्यों का अधिकार ले लिया गया, अब राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया जाएगा लेकिन अब कंपंसेशन सेस का क्या करेंगे, जो पांच साल का घाटा है, हम लोन लेकर उसको ब्याज को भी हम पटा देंगे। जब आप इस बात पर भी सहमत हो गए और आप कह रहे हैं कि राज्यों की एफआरबीएम लिमिट भी हम बढ़ा देंगे, तो ये केन्द्र सरकार 31 राज्यों से अलग-अलग लोन लेने की जगह एक केन्द्र सरकार एफआरबीएम के नियम अपने लिए क्यों नहीं शिथिल करके और लोन ले लेती है औऱ लोन लेकर सबको अपना-अपना हिस्सा दे देती है। सोवरन गारंटी इसमें कौन लेगा गवर्मेंट ऑफ इंडिया लेगी, शायद ही बैंक वाले राज्यों का मानें न माने, उनके लिमिट को शिथिल करें तो शायद मान भी जाएं। ये 31 जगह अलग-अलग लोन लेने की जगह आप एक जगह से लोन लीजिए और पटा दीजिए क्योंकि आपको तो घाटा नहीं होने वाला है। लोन आप ले रहे हो औऱ कंपंसेशन सेस जो पांच साल के बाद लगेगा और उसका ब्याज जो लोन को होगा वो पटा दिया जाएगा, तो किसी पर फाइनेंसियल बर्डन नहीं आ रहा है। तो अगर फाइनेंसियल बर्डन नहीं आ रहा है तो संविधान के लैटर और स्पिरिट और वर्ड को आप क्यों चैलेंज कर रहे हो क्यों उसको तोड़ रहे हो। जब संविधान में स्पष्ट रुप से लिखा है, Parliament shall तो पार्लियामेंट के माध्यम से इसको होने दीजिए, राज्यों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं इसको? एक जगह से लीजिए किसी का घाटा तो नहीं हो रहा क्योंकि ये एक्सटेंडेड जीएसटी कंपंसेशन सेस पांच साल बाद से आप वसूल लेंगे औऱ उसको पटा देंगे, तो ये मुद्दे हैं कि हाथ मरोड़े जा रहे हैं।

एक और मुद्दा अभी भी पैंडिंग है कि ये बात आई थी कि क्या जीएसटी इस रेजीम को जो पांच साल की जगह पांच साल और बढ़ा दिया जाए। क्योंकि ये माना गया था कि पांच साल के अंदर राज्य इतने मजबूत हो जाएंगे आर्थिक आधार पर कि जो 14 प्रतिशत का प्रोटेक्टेड रेवेन्यू का प्रावधान है, जरुरत नहीं पड़ेगी, हर राज्य की रेवेन्यू 14 प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में ऐसा बदलाव आ जाएगा, ऐसी बढ़ोतरी आ जाएगी कि एश्योर्ड इंकम जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू है, फिर आपको किसी सेस की जरुरत नहीं पड़ेगी, कंपंसेसन की जरुरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्थिति न तो बनी, पांच साल में नाम कोविड का है लेकिन कोविड के पहले ही ये अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो चुकी थी, जो हमने शुरु में कहा कि गलत आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के कारण चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी सेस को लागू करने की बात रही हो या अर्थव्यवस्था को संभालने की बात रही हो, अर्थव्यवस्था कोविड आने के पहले ही चरमराने की कगार पर आ गई थी। तो अब कोविड के नाम पर आप उसको भी प्रभावित करना चाह रहे हैं और राज्यों का प्रोटेक्टेड रेवेन्यू 14 प्रतिशत हर साल बढ़ेगा, आपने उस पर

भी कोविड के नाम पर नहीं, पहले से ही आप जिस तरह से चला रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था को उस पर आपने प्रभाव डाल दिया, तो पांच साल और बढ़ाने के बाद भी और जो ये कंपंसेशन सेस आपको देना है, जो पैसा आएगा, गवर्मेंट ऑफ इंडिया लोन लेगी वो तो जीएसटी सेस के खाते में जाएगा और जीएसटी सेस के खाते से आपको पेमेंट करना है, ये वाली व्यवस्था है, तो कोई अर्थ नहीं है कि आप अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग बोलिए, पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका कितना टेक्स रेट रेवेन्यू हो रहा है फिर आप हर राज्य को बोलेंगे कि अलग-अलग लोन लो, कौन एजेंसी रहेगी, क्या ब्याज दर रहेगी, एक जगह से लीजिए और एक जगह से अपना लोन और उसका ब्याज रेवेन्यू सेस से पटाइए।

ये क्यों ऐसा दबाव बना रहे हैं और संविधान के प्रावधान को क्यों तोड़ रहे हैं ये कह कर कि एक्ट में प्रावधान नहीं है। एक्ट बड़ा है कि कॉन्स्टीट्यूशन बड़ा है। अगर एक्ट किसी मुद्दे पर साइलेंट है, तो संविधान का जो वर्ड, लैटर और स्पिरिट है वो प्रिवेल करेगा, तो ये मुद्दे हैं इस पर छत्तीसगढ़ की ओर से मैं भी सहमत नहीं हूं, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि, अब सब चीज अगर राज्यों पर डाल देनी है तो फिर ये जीएसटी काउंसिल का आडंबर क्यों करना, सब राज्यों को अपने-अपने ऊपर छोड़ दीजिए। एक कॉमन रेट का आपको हर वस्तु पर लगाना है, देश की वस्तुओं पर लगा दीजिए और टैक्स कलेक्शन अपने-अपने आधार पर हर राज्य की जो स्थिति है उस पर छोड़ दीजिए, ये क्यों करना? पहले आप कहते हो कि हम बड़े भाई, हम घर के बड़े हम सबका देखभाल करेंगे, और स्थिति थोड़ी सी बुरी हुई तो हम कुछ नहीं जानते आप अपना रास्ता देखिए।

तो ये बहुत अफसोस की बात है कि भारत जैसे बड़े देश में प्रजातांत्रिक और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके और मात्र बहुमत के आधार पर ये हाथ मरोड़ने जैसी बात हो रही है कि हम नहीं देते पैसा, आधा भी दे दिया होता कि भई, बाकी जो तय होगा करेंगे, हम नहीं देते पैसा, आप बात मानों हमारी तब हम मानेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC